न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः-103/अ-59/2017-18/ 1103 बैतूल दिनांक 10/9/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत हरन्या जनपद पंचायत आमला द्वारा ग्राम हरन्या में आवासहीन परिवारो को आवासीय पट्टा प्रदान करने हेतु मौजा हरन्या स्थित खसरा नंबर 47/1 रकबा 3.006 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.809 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है ।

2- ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव के आधार पर नायब तहसीलदार आमला (बोरदेही वृत्त) द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा हरन्या तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 47/1 रकबा 3.006 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.809 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 14-04-2018 को आयोजित ग्राम सभा में, सर्व सम्मति से प्रस्ताव क्रमांकः- 04 पारित किया जाकर, मौजा हरन्या तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 47/1 रकबा 3.006 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.809 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा हरन्या तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 47/1 रकबा 3.006 हेक्टेयर भूमि पहाड़ शासकीय मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 में खसरा नंबर 47 रकबा 3.897 हेक्टेयर भूमि पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है।

(4)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार आमला (बोरदेही वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा हरन्या तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 47/1 रकबा 3.006 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.809 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./8670, दिनांक 04 अगस्त 2018 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के प्रकरणो को छोड़कर शेष समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार आमला (बोरदेही वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा हरन्या तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 47/1 रकबा 3.006 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.809 हेक्टेयर भूमि जिसे प्रकरण में संलग्न नक्शा

प्रदर्श "अ" में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 103/अ-59/2017-18/ 1103 बैतूल दिनांक 10/5/2018
प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।
2- नायब तहसीलदार आमला (बोरदेही वृत्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत हरन्या जनपद पंचायत आमला की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.